न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 189/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1.गोपाल पिता गोरधन कुमावत निवासी कोडलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
——— प्रार्थी

बनाम

1—लादू पिता हजारी खाती निवासी बामणिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—
1— श्री के0के0जीनगर (अधिवक्ता प्रार्थी)
2— पेरोकार सरकार (अप्रा0 सं0 2)

निर्णय

दिनांक 02.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है—

1—यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.10.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार ग्राम उंकारपुरा पटवार मण्डल माणिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के नवीन खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी नं. 26/2 रकबा 0.3794 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज है। उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है मुझ प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर संज बेलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए 30 फीट चोड़े रास्ते की आवश्यकता है। जो विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 26/1 में से दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।राज्य सरकार की जो भी डीएलसी दर होगी मैं प्रार्थी जमा कराने को तैयार हूं।

2—यह कि प्रार्थी वादवर्णित आराजीयात में आने जाने के लिए वांछित रास्ते हेतु विपक्षी को सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने को तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए को स्वीकार फरमाया जाकर मौके की रिपोर्ट मंगायी जाकर मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु नया रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3—यह कि प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ दिनांक 12.07.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बनेड़ा को निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—(क) के मध्यनजर प्रस्ताव भिजवाया जावें।

4—यह कि प्रकरण भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल सरदारनगर के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव दिनांक 20.06.2023 को तैयार कर सीधे ही न्यायालय में बिना तहसीलदार की अनुशंषा के प्रस्तुत कर दिए जाने पर पुनः तहसीलदार बनेड़ा को पत्र लिखा गया। इस पर तहसीलदार बनेड़ा के पत्रांक/भू0अ0/2024/5634 दिनांक 23.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर द्वारा तरतीब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024, नजरी नक्शा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एवं मौके पर पक्षकारान को उपस्थित रहने बाबत

जारी सूचना पत्र रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किये। रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा रो प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रेकार्ड व मौके की निम्न स्थिति स्पष्ट की गई:—

1—भू अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 में अंकित किया कि प्रार्थी पूर्व में उक्त आराजी नम्बर 26/2 क्रय करने के पश्चात से आ0नं0 26/1 की पूर्वी मेर से अपनी आराजी में आता जाता था। वर्तमान में आ0नं0 26/1 के खातेदार ने थोर की बाड़ लगाकर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थी वर्तमान में आ0नं0 31 बिलानाम गेमु0 रास्ता से होकर अन्य आराजी नम्बर 27 की पश्चिमी मेर होकर अनुनय विनय कर अपनी आराजी में आ जा रहा है। सबसे लघुत्तम और उचित मार्ग आ0नं0 26/1 की पूर्वी मेर से 5 मीटर चौड़ाई 0.0289 हैक्टर भूमि मार्ग हेतु काम में आएगी। मौके पर जानकारी में आया कि अप्रार्थी लादू पिता हजारी खाती नि0 बामणिया की मृत्यु हो चुकी है। मौके पर अप्रार्थी का पुत्र मुकेश पिता लादू खाती उपस्थित है। तहसीलदार बनेड़ा के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपनी जोत पर पहुंच हेतु रास्ता चाहता हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आत्यन्तिक आवश्यकता होने से अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी नं0 26/1 में से रास्ते की स्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अतः प्रकरण में संक्षिप्त जांच में मेरा यह समाधान है कि प्रार्थी को अपनी उपरोक्त जोत आ0नं0 26/2 रकबा 0.3794 हैक्टर में जाने हेतु बिलानाम रास्ते की आ0नं0 31 में से होकर अन्य खातेदार/अप्रार्थी की आराजी सं. 26/1 में से होकर एक नया मार्ग बनाने की आत्यांतिक आवश्यकता है जबकि इस सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर के द्वारा दिनांक 20.06.2023 को प्रस्ताव तैयार कर सीधे ही इस न्यायालय को भिजवाया जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए तहसीलदार की अभिशंषा उक्त प्रस्ताव पर चाही गई थी। उक्त प्रस्तावानुसार दिनांक 19.07.2023 को वकील प्रार्थी को प्रस्ताव में नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी नम्बर 26/1 व 27 में से प्रस्तावित किए जाने पर आराजी नम्बर 27 के खातेदार को विधिवत सुने जाने हेतु वकील प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है जिसकी पालना करने तथा भू अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर से प्राप्त रिपोर्ट पर भूमिधारी तहसीलदार बनेड़ा की टिप्पणी अंकित करा प्रस्ताव पुनः भिजवाने हेतु आदेशिका दिनांक 13.09.2023 को आदेशित किया गया था।

प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा आदेशिका दिनांक 19.07.2023 की आदिनांक तक पालना नहीं किए जाने तथा तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 20.06.2023 मूल ही इस न्यायालय के पत्रांक/न्यायालय/2024/1896 दिनांक 09.12.2024 से आपको भिजवाते हुए बाद टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा परन्तु आपके द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं कर नवीन प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/5634 दिनांक 23.12.2024 से इस न्यायालय को भिजवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी नम्बर 26/2 में पहुंच हेतु आपके कार्यालय स्तर विरोधाभाषी प्रस्ताव प्राप्त होने से न्यायालय निर्णय में दुविधा उत्पन्न हो रही है तथा स्वयं परिवादी न्याय से सफर कर रहा है।

इस न्यायालय को आपके पत्रांक/भू0अ0/2024/5634 दिनांक 23.12.2024 से प्राप्त नवीन प्रस्ताव में आराजी नम्बर 26/1 में से ही नवीन रास्ता पूर्वी मेर से प्रस्तावित किया है जिसका रकबा 0.0289 हैक्टर बताया है साथ ही अप्रार्थी लादू पिता हजारी खाती की मृत्यु होना भी भू अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर की रिपोर्ट में अंकित किया है। तहसीलदार की विरोधाभाषी रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम के अभाव में अप्रार्थी के वारिसान को बिना सुने अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी में से नवीन रास्ता कायम किया जाना न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं होगा। वकील प्रार्थी के द्वारा 5 माह का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम हेतु नियत

समयावधि में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने से खारीज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को तैयार करा सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी,बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा